न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 74/2019 प्रार्थना पत्र

उंकारलाल पिता छगनलाल आंजना, आयु 62 साल, निवासी रानीखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रार्थी

//बनाम//

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.
श्री अनुराग ओझा, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित

निर्णय दिनांक 10.02.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की खाता संख्या 95 की आराजी नं. 341, 341/812, 342, 343, 343/813, 344, 344/814, 345, 346, 347, 348, 386, 387, 388, 390, 394, 395, 397, 845/341/812 कुल किता 19 कुल रकबा 8.6700 हैक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि प्रार्थी को अपने पिता छगनलाल जी की विरासत से प्राप्त हुई थी। उक्त भूमि में से नामान्तरकरण संख्या 234 रसे आराजी नं. 885/341/812 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी नं. 886/343 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नं. 887/343/813 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नं. 888/344 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नं. 344/814 रकबा 0.0300 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 889/345 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 0.2200 हैक्टेयर भूमि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नाम अवाप्त होने के उपरान्त दर्ज हुई। आराजी नं. 341/812 जिसका पुराना आराजी नं. 246 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा था जो प्रार्थी के पिता छगनलाल पिता सुखलाल आंजना, निवासी रानीखेड़ा ने दिनांक 30.04.2010 को पत्रावली क्रमांक/21/10 से 1998.14 वर्ग मीटर भूमि माननीय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा से औद्योगिक प्रयोजनार्थ स्टोन कर्टींग हेतु भूमि रूपान्तरित करवा ली जिसमें प्रार्थी के पिता ने पूर्व से पश्चिम 215 वर्ग फीट व उत्तर से दक्षिण 100 वर्ग फीट भूमि ले आउट प्लान अनुसार औद्योगिक रूपान्तरित करवाई थी। इसके पश्चात भूमि सड़क परिवहन हेतु अवाप्त कर ली गई परन्तु उक्त रूपान्तरित भूमि का नक्शे में राजस्व कार्मिकों द्वारा पैमुद नहीं किया गया तथा वर्तमान में भी नवीन

नक्शा ट्रेस देखने पर नये व पुराने नक्शे में भू प्रबन्ध कार्मिकों की त्रूटी स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आराजी नं. 845/341/812 रकबा 0.2000 हैक्टेयर भूमि को गत भू प्रबन्ध व मौका स्थिति अनुसार संशोधित कराने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/2019/591, दिनांक 24.07.2019 के माध्यम से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2070-73 ग्राम रानीखेड़ा की खाता संख्या 95 की प्रमाणित प्रति, नामान्तरकरण संख्या 234 ग्राम रानीखेडा की प्रमाणित प्रति व उस पर चस्पा नक्शा ट्रेस ग्राम रानीखेड़ा की प्रति, नामान्तरकरण संख्या 1014 ग्राम रानीखेड़ा की प्रमाणित प्रति व उस पर चस्पा नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति और सम्परिवर्तन आदेश प्रकरण संख्या 21/10 दिनांक 30.04.2010 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होकर विधिवत रूप से औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि है। साबिक नक्शा ट्रेस एवं रूपान्तरण आदेश में प्रश्नगत आराजीयात की तरमीम है परन्तु नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं है। इससे रेकार्ड में त्रूटी होना स्पष्ट प्रकट होता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी मौका रिपोर्ट में कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेस बना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही में वर्णित अनुसार 215 फीट लम्बाई में व 100 फीट चौड़ाई में संपरिवर्तन आदेश प्रकरण संख्या 21/10 दिनांक 30.04.2010 में अंकित अनुसार सड़क के मध्य बिन्दु से 150 फीट छोड़ते हुए राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 10.02.2020 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 18:23:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: